भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 390

02 दिसम्बर, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: चक्रवात के कारण फसलों को अत्यधिक नुकसान के बारे में रिपोर्ट

390. श्री संदिपनराव आसाराम भुमरेः

श्री ज्ञानेश्वर पाटीलः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों में विशेषकर संभाजीनगर और खंडवा लोक सभा क्षेत्रों में भारी वर्षा, तूफान और चक्रवात के कारण सोयाबीन, मक्का, ज्वार, प्याज, कॉफी और केला तथा अन्य फसलों को हुए भारी नुकसान के संबंध में राज्य सरकारों से विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो इस नुकसान का ब्यौरा क्या है और इसका फसल-वार अनुमानित आर्थिक मूल्य कितना है;

(ग) क्या सरकार ने किसानों को हुए भारी नुकसान को देखते हुए प्रभावित किसानों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए एनडीआरएफ के प्रावधानों के अलावा एक विशेष आर्थिक पैकेज प्रदान करने पर विचार किया है;

(घ) संभाजीनगर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत इस आपदा से प्रभावित कितनी फसलों के लिए बीमा दावों का निपटान किया जाना है; और

(ङ) बीमा कंपनियों द्वारा दावा आकलन और भुगतान प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ताकि किसानों को यथाशीघ्र मुआवजा मिल सके?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) एवं (ग): राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एनपीडीएम) के अनुसार, जमीनी स्तर पर राहत सहायता के वितरण सहित आपदा प्रबंधन की प्राथमिक ज़िम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। राज्य सरकारें प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुसार, पहले से ही उनके पास उपलब्ध राज्य आपदा अनुक्रिया कोष (एसडीआरएफ) से राहत उपाय करती हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती है और आवश्यक रसद एवं वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 'गंभीर प्रकृति' की आपदा की स्थिति में, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (आईएमसीटी) द्वारा दौरा आधारित मूल्यांकन शामिल है। तथापि, प्रभावित फसलों के क्षेत्र के संबंध में गृह मंत्रालय को राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना **अनुबंध-I** में दी गई है।

महाराष्ट्र सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, छत्रपति संभाजी नगर जिले में भारी बारिश और बाढ़ के कारण कुल 608956 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ है और कुल 689075 किसान प्रभावित हुए हैं। फसल क्षति का अनुमानित आर्थिक मूल्य 1695.01 करोड़ रुपये है। महाराष्ट्र सरकार ने प्रभावित क्षेत्र का सर्वेक्षण कराया है और किसानों को राहत एवं मुआवज़ा प्रदान किया है। प्रभावित किसानों को कुल 56314.42 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इसके अतिरिक्त, रबी मौसम के लिए बीज और अन्य संबंधित आदानों के लिए अधिकतम 3 हेक्टेयर तक 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता प्रदान की जाएगी।

(घ) एवं (ड.): जहां तक महाराष्ट्र के संभाजीनगर में अधिसूचित फसलों अर्थात काला चना, हरा चना, मक्का, प्याज, बाजरा, अरहर, ज्वार और सोयाबीन को हुई क्षति का प्रश्न है, तो यह कहा गया है कि कोई दावा नहीं किया गया है क्योंकि राज्य सरकार द्वारा खरीफ 2025 में स्थानीय आपदा के जोखिम को अधिसूचित नहीं किया गया है। राज्य सरकार से प्राप्त उपज आंकड़ों के आधार पर फसल चक्र की समाप्ति पर दावे की गणना की जाती है।

किसानों को बीमा भुगतान की सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम अनुबंध-II में दिए गए हैं।

अनुबंध-I

वर्ष 2025-26 (दिनांक 27.11.2025 तक) के दौरान जल-मौसम संबंधी आपदाओं के कारण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित क्षति का विवरण

क्र.सं.	**राज्य**	**प्रभावित फसल क्षेत्र (लाख हेक्टेयर में)**
1	आंध्र प्रदेश	1.506
2	अरुणाचल प्रदेश	0.072
3	असम	0.41
4	बिहार	0
5	छत्तीसगढ़	0.0068
6	गोवा	0
7	गुजरात	0
8	हरियाणा	4.32
9	हिमाचल प्रदेश	0.32
10	झारखंड	0.0017
11	कर्नाटक	14.81
12	केरल	0
13	मध्य प्रदेश	0
14	महाराष्ट्र	75.42
15	मणिपुर	0.039
16	मेघालय	0.065
17	मिजोरम	0
18	नागालैंड	0.0058
19	ओडिशा	0.29
20	पंजाब	1.93
21	राजस्थान	0
22	सिक्किम	8.11
23	तमिलनाडु	0.29
24	तेलंगाना	0
25	त्रिपुरा	0
26	उत्तर प्रदेश	2.22
27	उत्तराखंड	0.0073
28	पश्चिम बंगाल	0
29	अंडमान और निकोबार	0
30	चंडीगढ़	0
31	दादर और नगर हवेली	0
32	दिल्ली	0
33	जम्मू एवं कश्मीर	0.78
34	पुदुचेरी	0.001
	कुल	**116.6046**

*गृह मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार

अनुबंध-II

<u>दिनांक 28.11.2025 तक की स्थिति के अनुसार कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के फसल बीमा प्रभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार</u>

ओलावृष्टि, भूस्खलन, जलप्लावन, बादल फटने और प्राकृतिक आग के स्थानीय जोखिमों के कारण होने वाली क्षति तथा चक्रवात, चक्रवाती/बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण फसलोपरान्त होने वाली क्षति की गणना व्यक्तिगत बीमित खेत के आधार पर की जाती है। किसानों को संबंधित बीमा कंपनी, राज्य सरकार, वित्तीय संस्थानों/बैंकों, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी) या पीएमएफबीवाई ऐप आदि पर ऑनलाइन नुकसान की सूचना देना अपेक्षित है।

2. फसल बीमा योजनाओं की समीक्षा/संशोधन/युक्तिकरण/सुधार एक सतत प्रक्रिया है और स्टेकहोल्डर्स/अध्ययनों के सुझाव/अभ्यावेदन/सिफारिशों पर समय-समय पर निर्णय लिए जाते हैं। प्राप्त अनुभव और विभिन्न हितधारकों के विचारों के आधार पर बेहतर पारदर्शिता, जवाबदेही, किसानों को दावों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और योजना को और अधिक किसान-हितैषी बनाने के उद्देश्य से, सरकार ने समय-समय पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचालन दिशानिर्देशों में व्यापक संशोधन किए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजना के अंतर्गत पात्र किसानों तक लाभ समय पर और पारदर्शी तरीके से पहुँच सके।

3. चूँकि यह योजना राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित की जाती है, इसलिए बीमित किसानों के दावों से संबंधित वाद/शिकायत सहित सभी शिकायतों के समाधान हेतु, योजना के संशोधित प्रचालन दिशानिर्देशों में स्तरीकृत शिकायत निवारण तंत्र अर्थात जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति (डीजीआरसी), राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति (एसजीआरसी) का प्रावधान किया गया है। इन समितियों को व्यापक अधिदेश दिए गए हैं जिनका उल्लेख स्पष्ट रूप से किया गया है, ताकि शिकायतों की सुनवाई की जा सके और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उनका निपटारा किया जा सके।

4: सरकार ने इस स्कीम के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने, पारदर्शिता लाने और दावों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं:

- सरकार ने सब्सिडी भुगतान, समन्वय, पारदर्शिता, सूचना के प्रसार और किसानों के प्रत्यक्ष ऑनलाइन नामांकन सहित सेवाओं की डिलीवरी, बेहतर निगरानी के लिए व्यक्तिगत बीमित किसानों के विवरण अपलोड/प्राप्त करने और व्यक्तिगत किसान के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से दावा राशि का अंतरण सुनिश्चित करने के लिए एकल डेटा स्रोत के रूप में **राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी)** का विकास किया है।

- दावा वितरण प्रक्रिया की कड़ी निगरानी के लिए, खरीफ 2022 से दावों के भुगतान हेतु **'डिजिक्लेम मॉड्यूल'** नामक एक समर्पित मॉड्यूल चालू किया गया है। इसमें राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी) को लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) और बीमा कंपनियों की लेखा प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया है ताकि खरीफ 2024 से सभी दावों का समय पर और पारदर्शी तरीके से निपटान किया जा सके। यदि बीमा कंपनी द्वारा समय पर भुगतान नहीं किया जाता है, तो एनसीआईपी के माध्यम से 12% का जुर्माना स्वतः गणना करके लगाया जाता है।
- प्रीमियम सब्सिडी में केन्द्र सरकार के हिस्से को राज्य सरकारों के हिस्से से अलग कर दिया गया है, ताकि किसानों को केन्द्र सरकार के हिस्से से संबंधित आनुपातिक दावे मिल सकें।
- योजना के प्रावधानों के अनुसार, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अपने प्रीमियम हिस्से को अग्रिम रूप से जमा करने के लिए एस्क्रो खाता खोलना खरीफ 2025 सीजन से अनिवार्य कर दिया गया है।
- इसके अलावा, इस स्कीम के कार्यान्वयन में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए, सीसीई- **एग्री ऐप** के माध्यम से उपज डेटा/फसल कटाई प्रयोग (सीसीई) डेटा को कैप्चर करना और इसे एनसीआईपी पर अपलोड करना, बीमा कंपनियों को सीसीई के संचालन को देखने की अनुमति देना, एनसीआईपी के साथ राज्य भूमि रिकॉर्ड को एकीकृत करना आदि जैसे विभिन्न कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं ताकि किसानों के दावों का समय पर निपटान हो सके।

5. इस स्कीम के अंतर्गत हाल ही में वर्ष 2023-24 से निष्पक्ष फसल क्षति एवं क्षति आकलन और पारदर्शिता के लिए निम्नलिखित प्रौद्योगिकियों को भी कार्यान्वित किया गया है:

क. **विंड्स (मौसम सूचना नेटवर्क और डाटा सिस्टम) -** विभिन्न सरकारी और अन्य संस्थाओं के लिए हाइपर-लोकल मौसम डाटा का एक मजबूत डाटाबेस बनाने के लिए तालुक/ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर क्रमशः ऑटोमेटिक वेदर स्टेशनों और वर्षा मापी का एक नेटवर्क स्थापित करने की देश की एक अग्रणी पहल है, जिसका उपयोग सभी किसान और कृषि परक सेवाओं के लिए किया जा सकता है।

ख. **यस-टेक (प्रौद्योगिकी पर आधारित उपज अनुमान)** - एक प्रौद्योगिकी आधारित उपज अनुमान तंत्र है जिसे देश के 100 जिलों में 2 वर्ष के कठोर परीक्षण और पायलट परीक्षणों के बाद विकसित किया गया है। अनुमोदित प्रौद्योगिकियों/दृष्टिकोणों का उपयोग करके रिमोट सेंसिंग सूचकांक, मौसम सूचकांक, फसल फेनोलॉजिकल जानकारी, मिट्टी के प्रकार आदि जैसे डाटा इनपुट द्वारा फसल हानि मूल्यांकन और उपज अनुमान में सहायता मिलती है।

*****